समाहरणालय रामगढ़ (कल्याण शाखा)

विज्ञापन संख्या – 04/2019

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प संख्या 2151 दिनांक 15.07.2015 के आलोक में विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत Service Procurement के आधार पर एकरारनामा अधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। उक्त विषय पर अंशकालीन सेवा के लिए चयन हेतु योग्यताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों से विहित प्रपत्र में दिनांक 31.08.2019 तक पूर्ण बायोडाटा एवं पासपोर्ट साईज के स्व–अभिप्रमाणित फोटो के साथ जिला कल्याण कार्यालय, समाहरणालय, छत्तरमाण्डू, रामगढ़ के पते पर केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित किया जाता है:–

नियुक्ति की अन्य शर्ते www.ramgarh.nic.in तथा कार्य दिवस में जिला कल्याण कार्यालय, रामगढ़ से विशेष जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/–
उप विकास आयुक्त
रामगढ़

क्रम	विद्यालय का नाम	आवेदित पद का नाम	विषय का नाम	रिक्ति		न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	परिलब्धि/वृति का
				अनारक्षित	कुल		
1	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, माण्डू।	अंशकालिन स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक	अंग्रेजी	1	**1**	संबंधित विषय मे स्नातक/स्नात्कोत्तर एवं एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एड0/शिक्षण प्रशिक्षण। उच्चतर शैक्षणिक, योग्यता प्राप्ताक प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।	200/– रूपये प्रति घंटी, अधिकतम चार घंटी प्रतिदिन। एक सप्ताह में अधिकतम पाँच कार्य दिवस तक
			अर्थशास्त्र	1	**1**		

1. विषय के आधार पर स्नातक स्तर के शिक्षकों का चयन किया जायगा।
2. इसी जिले के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है।
3. स्नातक स्तर पर कम से कम 45 प्रतिशत अंक लाने वाले एवं बी०एड० की डिग्री जो NCTE से मान्यता प्राप्त हो वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
4. मेधा का निर्धारण शैक्षणिक प्राप्तांक के आधार पर किया जायगा।
5. सभी चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। वे किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे। यह पद स्थानांतरणीय नहीं होगा। चयनित शिक्षकों का विद्यालय में आवासन की सुविधा नहीं दी जायेगी। दैनिक उपस्थिति के आधार पर किये गये अध्यापन कार्य के आलोक में वृत्तिका का भुगतान किया जायेगा।
6. आवश्यकतानुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 06 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जायेगा। चयनित अभ्यर्थी भविष्य में किसी भी विभागीय रिक्ति के विरूद्ध अंतर्लीकरण के अधिकारी नहीं होंगे।
7. आवेदन विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किया जाना है एवं आवेदन प्रपत्र पूरा भरा होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त स्तर से निर्गत होना आवश्यक है।
9. सभी प्रमाण पत्र यथा जाति, आवासीय शैक्षिणिक, तकनीकी योग्यता एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व–अभिप्रमाणित करते हुए संलग्न करना आवश्यक होगा।
10. इन्टर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक लाने वाले तथा दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री अनिवार्य होगा, जो NCTE से मान्यता प्राप्त हो।
11. इस विज्ञापन को अपरिहार्य कारणों से रद्द करने अथवा स्थगित रखने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह०/–
उप विकास आयुक्त,
रामगढ़।

<u>विहित प्रपत्र</u>

फोटो

1. आवेदित पद/विषय –
2. आवेदक का नाम –
3. पिता/पति का नाम –
4. जन्म तिथि –
5. लिंग (पुरूष/महिला)
6. विवाह की स्थिति (विवाहित/आविवाहित) –
7. वर्तमान पता –
8. स्थायी पता –
9. शैक्षणिक योग्यता –
10. अन्य योग्यता –
11. आरक्षण का कोटि (सामान्य/अनु०ज०जा०/अनु०जाति/ अत्यन्त पिछडा वर्ग/पिछडा वर्ग) –
12. मोबाईल नं0 –

स्थान...................

दिनांक.................

आवेदक का हस्ताक्षर